न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2025/197 **दायरा दिनांक : 23.09.2025**

उनवान

मुकुटबिहारी आयु 47 वर्ष पुत्र श्री रामचन्द्र, जाति मीणा, निवासी ग्राम पीपल्दाकला, तहसील किशनगंज, जिला बारां राज० .... अपीलांट

बनाम

1. रूकमणी पुत्री स्व० रामप्रताप पत्नी श्री रामस्वरूप, जाति मीणा, निवासी सरकन्या चौराहा, मूण्डला, तहसील मांगरोल, जिला बारां राज०
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगंज, जिला बारां राज०

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री ओम प्रकाश मेहता अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री महेन्द्र सिंह हाडा अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 10.03.2026**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज के प्रकरण संख्या – 2024/131 निर्णय दिनांक 11.09.2025 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/अपीलान्ट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 92–क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम पीपल्दा कला, तहसील किशनगंज आराजी संवत 2074 से 2077 वर्तमान खाता संख्या 49 पुराना 48 में वर्णित खसरा नं. 294 रकबा 1.40 हेक्टर जिसके साबिक खसरा नं. 220 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा तथा ग्राम पीपल्दा कला, तहसील किशनगंज की आराजी खाता संख्या नया 109 पुराना 96 मे वर्णित खसरा नं. 110 रकबा 0.03 हेक्टर साबिक खसरा नं. 89 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नं. 307 रकबा 1.55 हेक्टर व साबिक खसरा नं. 231 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज ने अपने निर्णय दिनांक 11.09.2025 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि प्रार्थी/अपीलान्ट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92–क व 188 राज०टी०एक्ट के तहत अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज०टी०एक्ट का पेश किया गया जो ग्राम पीपल्दा कलां, तहसील किशनगंज आराजी संवत 2074 से 2077 वर्तमान

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

खाता संख्या 49 पुराना 48 में वर्णित खसरा नं. 294 रकबा 1.40 हेक्टर जिसके साबिक खसरा नं0 220 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा तथा ग्राम पीपल्दाकलां, तहसील किशनगंज की आराजी खाता संख्या नया 109 पुराना 96 मे वर्णित खसरा नं. 110 रकबा 0.03 हेक्टर साबिक खसरा नं. 89 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नं. 307 रकबा 1.55 हेक्टर व साबिक खसरा नं. 231 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा के सन्दर्भ मे वसीयती उत्तराधिकारी होने के आधार पर प्रस्तुत किया गया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज द्वारा रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य का ठीक प्रकार से विवेचन नहीं कर मनमाना एवं विधि विरूद्ध निर्णय दिनांक 11.09.2025 पारित किया गया है जो खिलाफ कानून होने से काबिज निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 11.09.2025 में केवल इस आधार पर प्रार्थना पत्र धारा 212 राज०टी०एक्ट निरस्त किया गया है कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज०टी०एक्ट पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का गहनता से अध्ययन किया गया। अद्योपान्त विवेचनानुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आर०टी०एक्ट रिकार्ड खातेदार के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है जिससे खातेदार को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया तो खातेदार को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी भरपाई सम्भव नहीं है, सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में है रिकार्डेड खातेदार को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर विधि सम्मत नही होगा। जबकि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते वक्त व आदेश दिनांक 11.09.2025 तक जमाबन्दियां मृतक रामप्रताप के खातेदारी मे दर्ज है अप्रार्थीया/रेस्पो० क्रम 1 रूकमणी बाई खातेदार नही है। रूकमणी बाई द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत अपने जवाब दिनांक 26.09.2024 में स्पष्ट रूप से स्व० रामप्रताप के खातेदारी मे दर्ज होना स्वीकार किया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी/रेस्पो० क्रम 1 रूकमणी बाई को खातेदार गलत रूप से माना गया है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 29.12.2017 मृतक रामप्रताप की वसीयत के आधार पर वसीयती उत्तराधिकारी मानकर के वाद पत्र/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है अप्रार्थीया/रेस्पो० अपने जवाब मे एक वसीयत दिनांक 30.12.2021 की बतायी जाकर के अपने जवाब व प्रति प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत की गई है इस प्रकार मृतक रामप्रताप की जब दो भिन्न भिन्न वसीयते हैं तो इसका निर्धारण साक्ष्य के उपरान्त मूल वाद मे ही किया जा सकता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 11.09.2025 विधि विरूद्ध पारित किया गया है, जो काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनावश्यक विवाद उत्पन्न न हो इसलिये दिनांक 11.07.2024 को प्रार्थी/अपीलान्ट के पक्ष मे स्थगन आदेश जारी किया गया था। जिस पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनाक 11.09.2025 मे कोई उल्लेख नही किया गया। जबकि विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि दौराने वाद अनावश्यक विवाद उत्पन्न न हो इसलिये अस्थायी निषेधाज्ञा दौराने वाद जारी की जा सकती है जबकि अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 11.09.2025 के आदेश के आधार पर अप्रार्थीया/रेस्पो० क्रम 1 रूकमणी बाई द्वारा मृतक रामप्रताप का फोती इन्तकाल खुलवा लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में अपीलान्ट/प्रार्थी का वाद निरर्थक हो जावेगा तथा अनावश्यक

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

मुकदमे बाजी में उलझना पडेगा तथा मौके पर लडाई झगडा उत्पन्न होगे। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.09.2025 खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.09.2025 प्रकरण संख्या 2024/131 बउनवान मुकटबिहारी बनाम रूकमणी अन्तर्गत धारा 212 राज०टी०एक्ट निरस्त फरमाया जावे, अपीलान्ट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज०टी०एक्ट स्वीकार कर ताफैसला वाद विवादित आराजियात के राजस्व रिकार्ड एवं मौके पर यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान किये जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि अपीलांट ने धारा 212 का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था जो अधीनस्थ न्यायालय ने निरस्त किया है। विवादित आराजी का रिकार्डेड खातेदार मृतक है। अधीनस्थ न्यायालय में उपलब्ध जमाबंदी में आज भी प्रताप का नाम अंकित है। अपीलांट व रेस्पोडेंट दोनों वसीयत लेकर आये हैं। रेस्पोडेंट क्रम 1 प्रताप की पुत्री है। प्रताप की जाति मीना है, मीना जाति में पुत्री को आराजी में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय गलत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को पाबन्द किया जा सकता है क्योंकि मृतक की आराजी का विवाद है। हक व अधिकारों का निर्णय दावे में होना है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। दौराने बहस लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट/वादी ने एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 92 (क) 188 राज० टीनेन्सी एक्ट अधीनस्थ न्यायालय मे मृतक रामप्रताप की कथित वसीयत दिनांक 29.12.2017 के आधार पर रेस्पो० क्रम 1 के विरूद्ध पेश किया और अपने वाद में अपीलान्ट ने खाता संख्या नया 49 में दर्ज आराजी खसरा नंबर 294 रकबा 1.40 हेक्टेयर व खाता संख्या नया 109 मे दर्ज आराजी खसरा नंबर 110 रकबा 0.03 हेक्टयर, खसरा नंबर 307 रकबा 1.55 हेक्टेयर वाके ग्राम पीपल्दाकला, तहसील किशनगंज को अपने खातेदारी मे दर्ज कराने की प्रार्थना की। उक्त आराजी वर्तमान में रेस्पो० क्रम 1 के पिता प्रताप उर्फ रामप्रताप पुत्र भीमडा, जाति मीणा के खाते मे दर्ज हो रही है। उक्त वाद के साथ अपीलान्ट/वादी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज०टी०एक्ट पेश करके निवेदन किया कि दौराने वाद उपरोक्त वर्णित आराजी से प्रार्थी अपीलान्ट को बेदखल न करे तथा राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा उक्त आराजी को रहन, बेचान व अन्य तरीके से मुन्तकिल न करें। प्रार्थी को शान्तिपूर्ण तरीके से काश्त करने देवे। प्रार्थी के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं करे, ना ही अपने प्रतिनिधि से करावे।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

सबसे पहले इस सम्माननीय न्यायालय का ध्यान मैं प्रार्थी द्वारा की गई प्रार्थना पर ही आकर्षित करना चाहता हूँ जो कि उन्होने अधीनस्थ न्यायालय मे अपने प्रार्थना पत्र 212 राज०टी०एक्ट में की इस प्रकार की प्रार्थना सिर्फ और सिर्फ एक तरह रिकार्डेड खातेदार ही अपनी आराजी के लिए कर सकता है जबकि अपीलांट न तो 212 राज०टी०एक्ट के प्रार्थना पत्र में दर्ज आराजी का रिकार्डेड खातेदार है, ना ही कब्जेधारी है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया ही इस प्रकार का निवेदन करने का अपीलान्ट को कोई अधिकार प्राप्त नही है स्वयं अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र की मद नंबर 2 मे 12वीं लाइन में लिखा है कि जब तक प्रार्थी के चाचा जीवित रहे वादग्रस्त आराजी को काश्त करते रहे तथा उनके फौत होने के उपरान्त से प्रार्थी काश्त करता चला आ रहा है। चाचा जी से तात्पर्य मृतक प्रताप उर्फ रामप्रताप से है। अर्थात जब तक रेस्पो० क्रम 1 के पिता स्व० रामप्रतापजी जीवित रहे वही काश्त करते रहे और रामप्रताप जी की मृत्यु दिनांक 13.12.2022 को हुई थी। इस प्रकार 13.12.2022 तक तो स्वयं रामप्रताप जी अपनी खातेदारी की आराजी पर काबिज काश्त रहे फिर दिनांक 13.12.2022 के पश्चात अपीलान्ट ने अपने नाम कोई फौती इन्तकाल दर्ज नही करवाया। किसी सक्षम न्यायालय से कोई आदेश प्राप्त नही किया फिर आराजी पर कैसे काबिज हो गया जबकि रेस्पो० क्रम 1 मृतक रामप्रताप के उत्तराधिकारी एवं जायज वारिस है और आराजी पर काबिज काश्त है। रेस्पो० क्रम 1 तो प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी व वारिस होने की वजह से मृतक के साथ पूर्व से ही आराजी पर काबिज काश्त था इस प्रकार अपीलान्ट वादी ने कब रेस्पो० क्रम 1 को बेदखल कर आराजी पर कब्जा कर लिया इस प्रकार का कोई आदेश दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय में पेश नही किया, ना ही इस सम्माननीय न्यायालय में पेश किया गया। इसी के साथ अपीलान्ट व रेस्पो० क्रम 1 का पारिवारिक सजरा भी बहस के लिए बनाया जा रहा है जिससे न्यायालय श्रीमान को प्रकरण को समझने में आसानी हो सके।

भीमडा मृतक

.....

प्रताप उर्फ रामप्रताप फौत.
रूकमणी रेस्पो० क्रम 1

रामचन्द्र फौत
किसकिन्धाबाई पुत्री मुकुटबिहारी पुत्र
बिसरामबाई पुत्री उत्तमचंद पुत्र ललताबाई बेवा

उक्त सजरा देखने से ही स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र में दर्ज आराजी भीमडा से विरासत में अपने पुत्र प्रताप व रामचंद्र को प्राप्त हुई और रामचंद्र के फौत होने पर उसके वारिसान मुकुटबिहारी व अन्य वारिसान को प्राप्त हुई जैसा कि सजरे मे स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। इसी से स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र मे दर्ज आराजी स्वअर्जित आराजी न होकर पैत्रिक आराजी है जो प्रथम दृष्टया ही राजस्व रिकार्ड से साबित है। समस्त राजस्व रिकार्ड लिखित बहस के साथ पेश किया जा रहा है जो बहस का एक भाग है। वर्तमान मे रेस्पो० क्रम 1 के साथ अन्य उत्तराधिकारियों के खाते में खाता संख्या 4 में

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

दर्ज कुल 3.91 हेक्टर व खाता संख्या 13 में दर्ज कुल आराजी 1.40 हेक्टेयर विरासत में अपीलांट को प्राप्त हुई है।

अपील मेमो का बिन्दू क्रम 1 में यह स्वीकार नही है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.09.2025 मनमाना एवं विधि विरूद्ध है। यदि अधीनस्थ न्यायालय अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लेता तो निर्णय अपीलान्ट के अनुसार विधि अनुरूप हो जाता, ऐसा नहीं है। यदि अपीलाट के पक्ष में निर्णय पारित नहीं हुआ तो उक्त निर्णय को मनमाना व विधि विरूद्ध नहीं कहा जा सकता। अपीलान्ट यह बात कहता है तो उसे स्पष्ट रूप से अपील मेमो में लिखना चाहिए कि अधीनस्थ न्यायालय ने क्या कानूनी त्रुटि की।

अपील मेमो की मद नंबर 2 में अपीलांट ने एक बिन्दू उठाया है कि रेस्पो० क्रम 1 को अधीनस्थ न्यायालय ने खातेदार मान लिया। इसमें अधीनस्थ न्यायालय ने क्या गलत किया है। रेस्पो० क्रम 1 मृतक रामप्रताप की विधिक वारिस व इकलौती उत्तराधिकारी होने के साथ साथ अपने जन्म से ही मृतक खातेदार रामप्रताप उर्फ प्रताप की खातेदारी की आराजी में अपना हिस्सा व स्वत्व रखती है और रामप्रताप के जीवनकाल से ही उनके साथ संयुक्त रूप से आराजी पर काबिज काश्त होकर काश्त करती चली आ रही थी। इकलौती वारिस होने से रेस्पो० क्रम 1 का जन्म जात आराजी मे स्वत्व प्राप्त है। वर्तमान मे रामप्रताप रिकार्डेड खातेदार है। ऐसी स्थिति में रामप्रताप के साथ साथ यदि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो० क्रम 1 को भी कब्जाधारी मान लिया तो यह कोई त्रुटि या गलती नहीं है। अपीलांट क्रम 1 रामप्रताप उर्फ प्रताप की मृत्यु सन 2022 में होने के पश्चात सामने आया है और मृत्यु के भी 2 साल बाद यह वाद पेश किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय किसी भी प्रकार से त्रुटिपूर्ण नही कहा जा सकता। यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के पक्ष मे अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती तो निश्चित रूप से रेस्पो० क्रम 1 के पक्ष में फौती इन्तकाल दर्ज हो जाता जो कि एक सामान्य विरासत का कानून है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि रामप्रताप की मृत्यु 2022 में होने के पश्चात से आज तक रेस्पो० क्रम 1 ही उत्तराधिकारी व एकमात्र वारिस होने की वजह से काबिज काश्त है और अपीलान्ट का कोई लोकस स्टेण्डाई नही है।

अपील मेमो की मद नंबर 2 में दूसरा बिन्दू उठाया है कि रामप्रताप द्वारा की गई दो वसीयत है। प्रथम वसीयत दिनांक 29.12.2017 है जो अपीलांट के पक्ष में की गई है और दूसरी वसीयत दिनांक 30.12.2021 है जो रेस्पो० क्रम 1 स्वयं की पुत्री के पक्ष में की गई है। क्या दो वसीयतें कर देने से इनका निर्णय मूल वाद में साक्ष्य से किया जायेगा ऐसा नहीं है। ऐसा कथन अपीलान्ट का त्रुटिपूर्ण है। वसीयती कानून की धारा 3 मे प्रतिपादित किया गया है कि वसीयतकर्ता अपने जीवनकाल मे कई वसीयत कर सकता है और उनको अपने जीवनकाल मे ही खारिज कर सकता है और अन्तिम वसीयत ही मान्य की जायेगी। इस प्रकार अन्तिम वसीयत रेस्पो० क्रम 1 के पक्ष में है इसकी रोशनी में अपीलांट के पक्ष में वसीयत दिनांक 29.12.2017 स्वतः ही निरर्थक और अर्थहीन हो जाती है उसके आधार पर किसी प्रकार का अनुतोष अधीनस्थ न्यायालय या इस न्यायालय से प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपीलान्ट का यह कथन कि 2 वसीयत होने की वजह से इनका निर्णय मूल वाद में किया जायेगा यह भी अपने आप मे सही नही है। यदि अपीलांट अपने पक्ष में कोई वसीयत मानता है और उस वसीयत के आधार पर आराजी मे अपना स्वत्व हांसिल करना चाहता है तो दीवानी

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

न्यायालय में वसीयत के आधार पर वाद पेश करके अपने पक्ष में स्वामित्व की घोषणा करावे तत्पश्चात राजस्व न्यायालय में प्रवेश करे। यदि अपीलांट के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी जाती है तो रेस्पो० कम 1 अपने पक्ष में फौती इन्तकाल दर्ज नही करा सकती और अब तक फौती इन्तकाल दर्ज इसलिए नहीं हो पा रहा है कि अभी तक अस्थायी निषेधाज्ञा प्रभावी है। न्यायिक दृष्टान्त आर आर डी 2002 पेज 10, पेज आर आर डी 2004 पेज 722 के आधार पर उत्तराधिकार के आधार पर नामान्तरकरण तस्दीक किया जा सकता है भले ही घोषणा का वाद विचाराधीन हो। इस प्रकार यदि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी रहती है तो अपीलांट को किसी प्रकार की क्षति या नुकसान नही होगा बल्कि रेस्पो० कम 1 को भुगतना होगा और यही मन्शा अपीलान्ट की है कि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी हो जाये और रेस्पो० कम 1 के पक्ष में इन्तकाल दर्ज न हो और वह बलपूर्वक आराजी पर काश्त करना प्रारम्भ कर दे।

अपीलान्ट ने अपील की मद नंबर 3 में अपनी इच्छा स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दी है कि रूकमणीबाई के पक्ष में फौती इन्तकाल तस्दीक नहीं होना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि अपील अपीलान्ट ने इसलिए पेश की है कि रेस्पो० कम 1 के पक्ष में इन्तकाल दर्ज न हो लेकिन अपीलांट को सम्माननीय न्यायालय में यह भी बताना पडेगा कि रेस्पो० कम 1 प्रथम श्रेणी की वारिस उत्तराधिकारी है उसके पक्ष में 2021 की वसीयत है। आराजी पर काबिज काश्त भी है फिर क्यों नही उसके पक्ष में इन्तकाल तस्दीक नही होना चाहिए। अपीलान्ट इस बात को स्वीकार करता है कि रेस्पो० मृतक रामप्रताप की पुत्री है। स्वयं अपीलांट अपने आपको उत्तराधिकारी के रूप मे न्यायालय के समक्ष पेश नही कर रहा है।

अब रेस्पो० कम 1 अप्रार्थीया अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु तीनों बिन्दुओं (1) प्रथम दृष्टया केस (2) सुविधा का सन्तुलन एवं (3) अपरिमित क्षति का बिन्दू का विवेचन कर रही है :–

(1) प्रथम दृष्टया मामला : अपीलान्ट के पास एक नोटेरी द्वारा तस्दीक वसीयत दिनांक 29.12.2017 है। जो अपीलांट के अनुसार मृतक रामप्रताप ने बहक अपीलान्ट लिखी है इसके अलावा ऐसा कोई दस्तावेज नही है जो अपीलांट के पक्ष मे प्रथम दृष्टया मामला बनाता हो। स्वयं अपीलांट ने अपील मेमो की मद नंबर 2 की 12वीं लाइन मे लिखा है कि जब तक रामप्रताप उर्फ प्रताप जीवित रहे वे काश्त करते रहे और उनकी मृत्युपरान्त अपीलान्ट काश्त करने लगा अर्थात अपीलांट सन 2022 के बाद ही पिक्चर में आया है और अपने आपको काबिज काश्त बता रहा है, जबकि रेस्पो० कम 1 मृतक की एकमात्र इकलौती तन्हा पुत्री है। इकलौती जायज वारिस है। प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी होने की वजह से पुश्तैनी आराजी मे जन्मजात स्वत्व प्राप्त है। वर्तमान में आराजी रामप्रताप के खाते में दर्ज है इसके अलावा रेस्पो० कम 1 के पक्ष में मृतक रामप्रताप द्वारा लिखी गई अन्तिम वसीयत दिनांक 11.12.2021 है जिसकी रोशनी में अपीलांट की कोई वसीयत कोई प्रभाव नही रखती है और निरर्थक है। मृतक रामप्रताप सदैव से ही रेस्पो० कम 1 के पास रहे है और उनके अन्तिम समय में वृद्धावस्था होने से सारी काश्तकारी रेस्पो० कम 1 ही करती थी और आज भी कर रही है। उपरोक्त

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

विवेचन से स्पष्ट है कि प्राइमाफेसी केस अपीलाट के पक्ष में न होकर रेस्पो० क्रम 1 के पक्ष में है। इसलिए अस्थायी निषेधाज्ञा अपीलांट के पक्ष में जारी नहीं की जा सकती।

(2) सुविधा का सन्तुलन :– रेस्पो० क्रम 1 मृतक रामप्रताप की इकलौती पुत्री व उत्तराधिकारी है ऐसी स्थिति में अपने पक्ष में फौती इन्तकाल दर्ज कराने की अधिकारणी है। अपीलांट की मंशा है कि रेस्पो० के पक्ष में फौती इन्तकाल दर्ज न हो और वह खातेदार न बन सके। रेस्पो० क्रम 1 के पक्ष में फौती इन्तकाल दर्ज न होने से रेस्पो० राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रही है और अपीलान्ट के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दिए जाने से नुकसान/क्षति सन्तुलन रेस्पो० क्रम 1 को अपीलांट की अपेक्षा ज्यादा होगा। क्योकि अपीलांट का कब्जा कभी रामप्रताप की आराजी पर रहा ही नहीं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट ने रेस्पो० क्रम 1 के स्वत्व व उत्तराधिकार को चुनौती नही दी है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट इस सम्माननीय न्यायालय से किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है और सुविधा का संतुलन का बिन्दू भी रेस्पो० क्रम 1 के पक्ष में है।

(3) अपूर्णीय क्षति :– उपरोक्त तीनो बिन्दू रेस्पो० क्रम 1 के पक्ष में प्रमाणित है और अपीलांट के विरूद्ध होने से अपरिमित क्षति का बिन्दू स्वतः ही रेस्पो० क्रम 1 के पक्ष में हो जाता है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट सारहीन व भारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है और अपील खारिज फरमायी जावे। विद्वान अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में आर.बी.जे. (31) 2024 पेज 92 व 2024(2) सीजे(Civ.)(राज.) पेज 1061 की नजीरे उद्धरत की।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत दावा किया गया तथा दावे के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का पेश किया कि वाके ग्राम पीपल्दाकलां पटवार हल्का तहसील किशनगंज जिला बारां में आराजी संवत 2074–2077 खाता संख्या वर्तमान 49 पुराना 48 में वर्णित खसरा नं. 294 रकबा 1.40 हेक्टर, जिसके साबिक खसरा नं. 220 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा तथा खाता संख्या नया 109 पुराना 96 की आराजी खसरा नं. 110 रकबा 0.03 हेक्टर, जिसके साबिक खसरा नं. 89 रकबा 4 बिस्वा एवं खसरा नं. 307 रकबा 1.55 हेक्टर, जिसके साबिक खसरा नं. 231 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा स्थित है, जिसे प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी संबोधित किया है। विवादित आराजी वसीयतकर्ता प्रताप उर्फ रामप्रताप पुत्र भीमडा की स्वअर्जित आराजी रही है। वसीयतकर्ता प्रताप उर्फ रामप्रताप प्रार्थी द्वारा की गयी सेवाओं से प्रसन्न होकर विवादित आराजी की वसीयत प्रार्थी के

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पक्ष में दिनांक 29.12.2017 को 500/– रूपये के स्टाम्प पेपर एवं दो सादा कागजों पर समक्ष गवाहान तहरीर करवाकर निष्पादित करवाई थी जिसमें प्रार्थी को वसीयती उत्तराधिकारी घोषित किया था। वसीयती उत्तराधिकारी होने के कारण प्रार्थी अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाकर अपना नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने एवं खिलाफ अप्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का वैधानिक अधिकारी एवं नालिसी है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थी कम 1 व 2 विवादित आराजी से बेदखल नहीं करे तथा राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा उक्त आराजी को रहन बेचान व अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल ना करे। प्रार्थी को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे तथा प्रार्थी के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार का व्यवधान ना तो स्वयं करे और ना ही अपने प्रतिनिधि से करावे।

अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी कम 1 द्वारा जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि दिनांक 29.12.2017 के पश्चात् मृतक रामप्रताप उर्फ प्रताप ने एक वसीयत दिनांक 30.12.2021 प्रतिपक्षी कम 1 के पक्ष में निष्पादित करवायी थी। प्रार्थी ने कभी भी प्रतिपक्षी के उत्तरदाता के पिता रामप्रताप उर्फ प्रताप की सेवा सुश्रुषा नहीं की है। अपनी मृत्यु की दिनांक तक प्रताप जी प्रतिपक्षी कम 1 के पास उसके निवास स्थान पर रहे है। प्रार्थी का जब विवादित आराजी पर कब्जा काश्त ही नही है, तो बेदखल किये जाने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। हिन्दू विधि वसीयत (इच्छा पत्र) की धारा 3 के अनुसार वसीयतकर्ता की अंतिम वसीयत को ही वैध माना जाता है। प्रतिपक्षी/उत्तरदाता कम 1 के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा में गवाहान के समक्ष स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि "इस वसीयत के पूर्व मैंने अन्य कोई वसीयत नहीं करवायी है और यह मेरी प्रथम व अंतिम वसीयत है। यदि पूर्व की कोई वसीयत निकले तो वह इस वसीयतनामा की रूह से प्रभावशून्य समझी जावे।" वसीयत कानून की धारा 3 के अनुसार प्रार्थी को वसीयत दिनांक 29.12.2017 के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी फर्जी वसीयत बनाकर प्रतिपक्षी कम 1 की आराजी को हडपना चाहता है जबकि प्रतिपक्षी स्व0 रामप्रताप उर्फ प्रताप की एकमात्र उत्तराधिकारी, वारिस व सुलवी पुत्री है, जिसका जन्म जात आराजी पर विरासतन अधिकार प्राप्त है। प्रतिपक्षी के पिता प्रताप जी रिकार्डेड खातेदार थे, वर्तमान में प्रतिपक्षी कम 1 वर्णित आराजी पर काबिज काश्त है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दावा आधारहीन कानून के खिलाफ जाकर फर्जी वसीयत के आधार पर पेश किया है जो प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल ने अपने निर्णय दिनांक 11.09.2025 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज करते हुए अपने निर्णय में अंकित किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

प्रार्थना पत्र रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध पेश किया गया है जिससे खातेदार को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया तो खातेदार को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी भरपाई संभव नहीं है। सुविधा संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में है। रेकार्ड खातेदार को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाकर विधि सम्मत नहीं होगा। इस आशय का निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया जिससे अप्रसन्न होकर प्रार्थी अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में यह अपील पेश की है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार विवादित आराजी ग्राम पीपल्दाकलां, तहसील किशनगंज के हाल खसरा नं. 294, 110, 307 जिसके साबिक खसरा नं. क्रमशः 220, 89, 231 है जो वर्तमान में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नकल जमाबंदी खाता सं. 49 एवं 109 के अनुसार क्रमशः मृतक खातेदार प्रताप पुत्र भीमडा एवं रामप्रताप पुत्र भीमडा के खाते दर्ज रिकार्ड है। विवादित आराजी के सन्दर्भ में प्रार्थी अपीलांट ने खातेदार रामप्रताप उर्फ प्रताप द्वारा दिनांक 29.12.2017 को प्रार्थी अपीलांट के पक्ष में निष्पादित अनरजिस्टर्ड वसीयत की फोटो प्रति पेश की है। इसी प्रकार अप्रार्थीया रेस्पोडेंट क्रम 1 द्वारा भी खातेदार रामप्रताप द्वारा दिनांक 30.12.2021 को अप्रार्थीया रेस्पोडेंट क्रम 1 के पक्ष में निष्पादित अनरजिस्टर्ड वसीयत की फोटो प्रति पेश की है। अप्रार्थी रेस्पोडेंट क्रम 1 के पक्ष में खसरा नं. 110 व 307 की वसीयत निष्पादित की गई है एवं प्रार्थी अपीलांट के पक्ष में निष्पादित वसीयत खसरा नं. 89, 231, 220 की है जिसके हाल खसरा नं. 110, 307, 294 है। इन दोनों वसीयतों के अवलोकन अनुसार मृतक खातेदार रामप्रताप/प्रताप के खाते की उक्त विवादित आराजी के सन्दर्भ में मुख्य विवाद दो वसीयतों के निष्पादन से सम्बन्धित है, जिसके सन्दर्भ में निर्णय मूल वाद के निस्तारण में होना है। प्रार्थी अपीलांट के पक्ष में निष्पादित प्रथम वसीयत दिनांक 29.12.2017 की है तथा अप्रार्थीया रेस्पोडेंट क्रम 1 के पक्ष में निष्पादित की गई द्वितीय वसीयत दिनांक 30.12.2021 की है। विवादित आराजी के सन्दर्भ में प्रार्थी अपीलांट एवं अप्रार्थीया रेस्पोडेंट क्रम 1 के मध्य वसीयत के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का दावा वर्तमान में विचाराधीन है, अतः द्वितीय वसीयत दिनांक 30.12.2021 के रहते हुए प्रार्थी अपीलांट के पक्ष में निष्पादित प्रथम वसीयत के आधार पर अपीलांट के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करते हुए अप्रार्थीया रेस्पोडेंट क्रम 1 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करना विधि सम्मत प्रतीत नहीं होने के कारण हम अपीलाधीन निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.09.2025 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/03/2026

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा